राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक एफ 13(45)कार्मिक/क-1/गो0प्र0/78   जयपुर दिनांक 20-9-1979

परिपत्र

========

राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम के नियम 244(2) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत करने के मामले पर राज्य सरकार ने विचार कर निम्न निर्णय लिए हैं:-

(1) इस समय जो कर्मचारी 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं या 25 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लेते हैं उनकी जाँच प्रतिवर्ष की जाती है\यह जाँच प्रतिवर्ष न की जाकर कर्मचारी के 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ही की जाय और उसके बाद प्रतिवर्ष उसकी स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं है।

(2) मुख्य सचिव, राजस्थान के अर्ध शासकीय पत्र संख्या पी0 14(46)कार्मिक/गो0प्र0/75 दिनांक 6 अगस्त, 1975 द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि जिन कर्मचारियों की जांच की जाती है उनके बाबत एक विशेष प्रतिवेदन भी मंगाया जाय और गोपनीय प्रतिवेदन के अतिरिक्त इस विशेष प्रतिवेदन को भी ध्यान में रखकर जांच की जाय। विशेष प्रतिवेदन मांगने के प्रावधान को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(3) जांच समिति को सिफारिश करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए:-

(1) ऐसे राज्य कर्मचारी जिनकी सत्यनिष्ठा संदेहास्पद है उनको सेवानिवृत किया जाय।

(1) अन्य कर्मचारी जो अकुशल है उनके लिए मुख्य मापदण्ड उस पद पर बने रहने की उपयुक्तता एवं कार्यक्षमता होनी चाहिए जिस पद पर वह आसीन है। यदि जांच के परिणाम स्वरूप ऐसा विचार हो कि यद्यपि अधिकारी ने निचली ग्रेड में भली प्रकार कार्य संपादित किया है किन्तु न तो वह वर्तमान पद के उत्तरदायित्वों को वहन करने में सक्षम है और न ही उस पद के समस्त कार्य को भली प्रकार सम्पादित करने में समर्थ रहेगा जिस पद पर आगामी कुछ वर्षों तक वह रहने वाला है तो उसे सेवा निवृत कर दिया जाना चाहिए।

(अरूण कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव

क्0पृ0उ0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव राज्यपाल/ मुख्य मंत्री
2- समस्त आयुक्त एवं शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/
उप शासन सचिव ।
3- समस्त निजी सचिव/ मंत्रीगण/ राज्य मंत्रीगण/निजी सचिव मुख्य सचिव ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष (जिलाधीशों सहित) कृपया अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्त अधिकारियों में सरक्युलेट कर दें।
5- समस्त अनुभाग/ प्रकोष्ठ शासन सचिवालय ।

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3- सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
4- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
5- अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
6- अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।

(हस्ताक्षर)
उप शासन सचिव

5/79